न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1097 सन 2021
अनवान :–

1. रघुवीर पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आत्माराम पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. नौरगलाल पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजेश कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. गुडडीदेवी पत्नी स्व हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. चुन्नी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. हाकमसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. गुलजार पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 की 4.9596हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एव मृतक हरिसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मनीराम वल्द केसुराम के नाम से दर्ज थी मनीराम वल्द केसुराम के देहान्त होने पर उसके हक हिस्से की भूमि उसके वारिसान चुन्नी पत्नी मनीराम व हाकमसिह रामनारायण ओमप्रकाश हरिसिह महावीर प्रसाद गुलजार पुत्र मनीराम के नाम नामान्तकरण संख्या 16 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई किन्तु रोही मौजा टोपरिया बारानी की जमाबन्दी तेयार करते समय मनीराम के वारिस रामनारायण का नाम सहवन से दर्ज नही हुआ अन्य खातो में सही तोर से दर्ज हो गया जिसे वादी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

रामनारायण का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 है एव हरिसिह का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ता 5 है जो रामनारायण एव हरिसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई गर्तवा कहा की वादगणी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज मनीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व रामनारायण एव हरिसिह के नाम से दर्ज हुई रोही मौजा टोपरिया बारानी में रामनारायण का नाम सहवन से दर्ज नही हुआ है वर्तमान में रामनारायण एव हरिसिह का देहानत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 5 है जो रामनारायण एव हरिसिह के हक हिस्सा की भूमि को विरासतन से पाने के अधिकारी है वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 की 4.9596हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एव मृतक हरिसिह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मनीराम वल्द केसुराम के नाम से दर्ज थी मनीराम वल्द केसुराम के देहान्त होने पर उसके हक हिस्से की भूमि उसके वारिसान चुन्नी पत्नी मनीराम व हाकमसिह रामनारायण ओमप्रकाश हरिसिह महावीर प्रसाद गुलजार पुत्र मनीराम के नाम नामान्तकरण संख्या 16 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई किन्तु रोही मौजा टोपरिया बारानी की जमाबन्दी तेयार करते समय मनीराम के वारिस रामनारायण का नाम सहवन से दर्ज नही हुआ अन्य खातो में सही तोर से दर्ज हो गया जिसे वादी दर्ज करवाने का अधिकारी है।

रामनारायण का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 है एव हरिसिह का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ता 5 है जो रामनारायण एव हरिसिह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 की 4.9596हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एव मृतक हरिसिह के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज मनीराम पुत्र केसुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक हरिसाम एवं रामनाराण के नाम से भूमि दर्ज हुई थी किन्तु रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 में रामनारायण का नाम दर्ज नही हुआ था जिसे दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा के अनुसार व सहवन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

से टोपरिया बारानी मे भूमि दर्ज नही हुई मे वादीगण के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजसव रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है।

वादीगण का कथन है रामनारायण का देहानत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण संख्या 1 ,2 एव हरिसिंह का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 3 ता 5 है जो रामनारायण एव हरिसिंह के हकहिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 की कुल 4.9590हैक भूमि मे वादीगण संख्या 1 व 2 बहिब 1/28 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब 1/28 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पांचो बहिब 5/28 हिस्सा यानि प्रत्येक 1/28 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रधुवीर पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 आत्माराम पुत्र रामनारायण जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3 नौरगलाल पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4 राजेश कुमार पुत्र हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5 गुडडीदेवी पत्नी स्व हरिसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 चुन्नी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2 हाकमसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3 ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4 महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5 गुलजार पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1097 सन 2021 निर्णय दिनांक– 14/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 78/76 की कुल 4.9590हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 बहिब 1/28 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 ता 5 बहिब 1/28 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पांचो बहिब 5/28 हिस्सा यानि प्रत्येक 1/28 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner